पंचायतें आगे आयेंगी तभी टूटेगा दलालों का मनोबल

ऋषिकांत पिछले कई वर्षों से पलायन और मानव तस्करी के खिलाफ पूरे देश में अभियान चला रहे हैं. वे जानी-मानी संस्था शक्तिवाहिनी से जुड़े हुए हैं. इनके काम को देश-विदेश में सराहना मिली है. पंचायतनामा के लिए संतोष कुमार सिंह ने इनसे सीधी बात की है.

झारखंड से पलायन की खबरें लगातार आती रहीं हैं? खुद सरकार भी स्वीकार करती है कि लड़कियों का पलायन हो रहा है?

सरकार स्वीकार कर रही है, यह अच्छी बात है. हमने भी अपने एनजीओ शक्तिवाहिनी के जरिए ऐसे मामलों को लगातार उठाया है. लेकिन सिर्फ बीमारी की पहचान कर लेने मात्र से रोग दूर नहीं होता. उसका इलाज करना होता है. लेकिन सरकार के पास न तो पलायन को रोकने का जज्बा है, और न ही अपने राज्य की बेटियों को दूसरे राज्यों में जाकर शोषण को मजबूर होने से बचाने की इच्छाशक्ति. यही कारण है कि वर्ष 2004 के बाद से ही ऐसी घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है. लगभग 103 मामलों को हमारी संस्था ने डील किया है.

महिलाओं, खासकर नाबालिग लड़कियों के पलायन के पीछे क्या वजह देखते हैं?

वजह साफ है, गरीबी. आदिवासियों के हितों के संरक्षण के नाम पर राज्य का गठन हुआ. राज्य के गठन के बाद से ही लगातार वहां आदिवासी मुख्यमंत्री रहे. राज्य सरकार बेटी बचाओ वर्ष भी मनाती है, लेकिन बेटियों की सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है. रोजगार की तलाश में तो पलायन हो ही रहा है. झारखंड के कुछ इलाकों से ऐसी भी सूचना है (खासकर सिमडेगा और गुमला जिले में) कि लड़कियां माता-पिता की सहमति से नक्सलियों के डर से पलायन कर रही हैं. स्थिति यह है की झारखंड से जो भी पलायन हो रहा है, उसको रोकने का कोई मेकानिज्म नहीं है. यहां तक की गैर सरकारी संगठनों की मदद से पुलिस द्वारा चलाये जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो लड़कियां छुड़ायी जाती हैं, उन्हें उनके घर वापस भेज दिया जाता है, लेकिन राज्य सरकार के पास उनके पुनर्वास का कोई पुख्ता प्रबंध नहीं है. यहां तक की पुनर्वास के लिए फंड का आवंटन नहीं किया गया है. अगर ऐसी व्यवस्था है भी तो राज्य सरकार की वेबसाइट पर इसकी सूचना नहीं है. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच आपसी सामंजस्य का स्पष्ट अभाव दिखाई देता है. राज्य में बच्चों की सुरक्षा के लिए एक भी अच्छा प्रोटेक्शन होम नहीं है.

यह पूरा कारोबार किस तरह संचालित हो रहा है?

दलालों की चांदी है. झारखंड के प्रत्येक गांव में दलाल सक्रिय हैं. वहां से आने वाली सभी प्रमुख ट्रेनों में अगर ध्यान से देखा जाये तो कोई न कोई महिला या लड़की रोजगार के नाम पर दिल्ली एवं उसके आसपास के इलाकों में या फिर मुंबई जैसे महानगरों में ले जायी जाती हैं. आजकल दक्षिण भारतीय राज्य बंगलुरु की तरफ भी सीमित संख्या में ही सही लड़कियों को ले जाया जाता है. रोजगार दिलाने के नाम पर ज्यादातर लड़कियों को घरेलू कामकाज में लगाया जाता है. इसके एवज में प्लेसमेंट एजेंसियां (इनमें से अधिकांश पंजीकृत नहीं हैं) नियोक्ता से बीस से 25 हजार रुपये एकमुश्त लेती हैं . लड़की के श्रम के एवज में लगभग 2500 रुपये मासिक तय किया जाता है. जो कि न्यूनतम मजदूरी की राशि से भी कम है. एक बार जब वह शहर में आ जाती है, तो न उसका अपने परिवार से संपर्क होता है, और न ही परिवार तक उसकी आय पहुंच पाती है. 24 घंटे श्रम की बदौलत अंततः उसके हाथ कुछ भी नहीं आ पाता. यहां तक की उनका शारीरिक शोषण भी होता है. अगर प्लेसमेंट एजेंसी चलाने वालों की तह में जायें तो इनमें से ज्यादातर के पास अपना मकान है, इन्होंने इनकी बदौलत काफी पैसे कमाये हैं. इनमें से ज्यादातर प्लेसमेंट एजेंसियों का रजिस्ट्रेशन झारखंड से बाहर महानगरों में होता है, और ये अपना कारोबार झारखंड से लायी गयी लड़कियों की बदौलत संचालित करते हैं. जबकि राज्य से किसी को भी कामकाज के लिए बाहर लाया जाता है तो स्थानीय पुलिस को उसकी सूचना देनी होती है.

राजधानी के किन इलाकों में ऐसी प्लेसमेंट एजेंसियां काम कर रही हैं? दिल्ली स्थित झारखंड भवन अपने राज्य से हो रहे पलायन (महिला तस्करी) की घटनाओं की रोकथाम के लिए क्या उपाय कर रहा है?

मुख्य रूप से राजधानी व उसके आसपास के इलाकों, मसलन संगम विहार, शकुरपुर, पंजाबी बाग, फरीदाबाद, नोएडा, आदि इलाकों में ऐसे प्लेसमेंट एजेंसियां संचालित की जा रही हैं. यूं कहें तो प्लेसमेंट एजेंसी के नाम पर लड़कियों के शारीरिक शोषण (अघोषित रूप से ब्रोथल चल रहे हैं) प्रबंध किये गये हैं. जहां दलाल खुद पहले उनका शोषण करते हैं, और बाद में मजबूर नाबालिग लड़कियों से देह व्यापार भी कराया जाता है. जहां तक झारखंड भवन और उसमें बैठे स्थानिक आयुक्त की भूमिका का प्रश्न है, वे एक तरह से झारखंड से दिल्ली आ रहे प्रत्येक नागरिक के लिए कस्टोडियन की भूमिका में हैं. अगर वे अपनी भूमिका सही तरीके से निभा रहे होते तो ऐसी घटनाओं में कमी आ सकती थी. पिछले दिनों जब 22 लड़कियों को रेस्क्यू कराया गया तो बहुत दबाव के बाद उन्होंने उनके घर वापसी के लिए टिकट वापसी का प्रबंध कर अपनी जिम्मेवारी को समाप्त मान लिया. इन लड़कियों का फिर से शोषण न हो, इन्हें दोबारा वापस न आना पड़े, इसका प्रबंध नहीं दिखाई देता.

लड़कियों का पलायन अधिकांशतः ग्रामीण इलाकों से हो रहा है. क्या पंचायतें या ग्राम सभा ऐसे मामलों का संज्ञान नहीं ले रही हैं.

देखिए, मैने पहले ही कहा, राज्य में कार्यरत संस्थाओं में सामंजस्य का अभाव है. पंचायत और समाज कल्याण विभाग में सामंजस्य का अभाव है. राज्य में भी चुनी हुई पंचायत है. इनके द्वारा चुने गये लोगों को ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए विशेष ट्रेनिंग देने का अभाव है. प्रत्येक पंचायत में ऐसा रजिस्टर होना चाहिए, जिसमें इस बात की जानकारी हो कि गांव के किस परिवार से लोग राज्य के बाहर गये हैं. कौन सी एजेंसी इन्हें ले गयी है. राज्य से बाहर जा रही लड़कियां सुरक्षित हैं कि नहीं. इसकी जानकारी होनी चाहिए. अगर पंचायतें मजबूत होंगी, तो दलाल इतनी आसानी से गरीब लोगों को बहला-फुसलाकर शोषण नहीं कर पायेंगे. झारखंड में तो ग्रामीण स्तर पर काम करने वाली जातिगत ग्राम सभाएं भी हैं. उनको ऐसे मामलों के प्रति सजग कर ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है. ये संस्थाएं जितनी मजबूत होंगी, समाज उतना ही सशक्त होगा.

राज्य में चाइल्ड वेलफेयर कमिटी का गठन किया गया है? क्या यह लड़कियों के अधिकारों के प्रति सजग है?

रोजगार दिलाने के नाम पर ज्यादातर लड़कियों को घरेलू कामकाज में लगाया जाता है. एक बार जब वह शहर में आ जाती है, तो न उसका अपने परिवार से संपर्क होता है, और न ही परिवार तक उसकी आय पहुंच पाती है. 24 घंटे श्रम की बदौलत अंततः उसके हाथ कुछ भी नहीं आ पाता. यहां तक की उनका शारीरिक शोषण भी होता है.

राष्ट्रीय स्तर पर बाल कल्याण आयोग ने गाइड लाइन बनाया है. राज्य में भी बाल कल्याण आयोग बनाया गया है. राज्य के कुछ जिलों में भी वे काम कर रहे हैं. जहां तक राज्य स्थित बाल कल्याण आयोग का सवाल है, इसके ज्यादातर सदस्यों की नियुक्ति राजनीति से प्रभावित है (कुछ सदस्य सही हो सकते). इन लोगों को ऐसे काम का अनुभव नहीं है.

क्या ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए कुछ उपाय सुझाना चाहेंगे?

निश्चित रूप से मेरा मानना है कि विभिन्न संगठनों के समेकित प्रयासों से ही इसमें कमी लायी जा सकती है. केवल कागजी खानापूर्ती से बात नहीं बनने वाली. राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग, श्रम विभाग, राज्य के पुलिस अधिकारी, गैर सरकारी संगठनों, सबको मिलकर एक साथ बैठकर आगे की राह तलाशनी होगी. नेशनल कमिशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुरूप अगर काम किया जाये, तो हम जल्द ही इस समस्या से मुक्त होंगे.

मानव तस्करी का दोषी सिद्ध होने पर 15 साल से लेकर आजीवन कारावास एवं भारी जुरमाने की मांग अटोर्नी जनरल द्वारा तैयार एक प्रस्ताव में की गयी है. साथ ही इकट्ठा जुरमाने को पीड़ितों की सेवा और उनकी कानूनी लड़ाई में इस्तेमाल करने की मांग की गयी है.